दूरभाषः / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, इलाहाबाद – 221506

Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Allahabad

संदर्भ सं0 G00919 /H-50/2016-2017 दिनांक 13/10/2016

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
इलाहाबाद।

विषयः **गाटा नं0–195 ग्राम अबूसा परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर जिला इलाहाबाद में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का0लि0 द्वारा नये रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के संदर्भ में अपने कार्यालय के पत्रांक–70/ए0जे0ए0–1/2016 दिनांक 26.09.2016 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का0लि0 रेवाडी–कानपुर पाइपलाइन परियोजना कार्यालय तीसरी मंजिल 123/788 जी–1 प्लाट नं0 52–टी/15 फैक्ट्री एरिया, फजलगंज, कानपुर के पत्र सं0 रिटेल/इंजीन्यरिंग/एसकेएस दिनॉक 12.09.2016 के साथ उपर्युक्त विषयक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का0लि0 के प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट के स्थापना हेतु गाटा नं0–195 ग्राम–अबूसा परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर जिला इलाहाबाद में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है। उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आवेदन–पत्र की जांच के उपरांत संदर्भित रिटेल आउटलेट की स्थापना में बोर्ड को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं है। बशर्ते परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम 1989 के प्राविधानों का समुचित पालन किया जाय तथा सुरक्षा रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करें। स्थल पर किसी प्रकार का उत्पादन प्रक्रिया से सम्बन्धित कार्य वर्जित है। रिटेल आउटलेट से किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह एवं उत्सर्जन जनित नहीं किया जायेगा। पेट्रोल पम्प पर यदि जेनरेटर की स्थापना की जाती है तो एकास्टिक इनक्लोजर एवं मानकों के अनुरूप एग्जास्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(डॉ0 मो0 सिकन्दर)
क्षेत्रीय अधिकारी

E:\SUNIL KUMAR - STENO\R OPetrol-Gas